

असाधार्गा EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाकित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

No. 1381

नई विस्तो, मंगलवार, अत्रैल 2, 1996/घंत्र 13, 1918 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 1996/CHAITRA 13, 1918

(1)

वित्त मंद्रालय (राजस्व विभाग)

अधिम्चना नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1996

आयकर

मा ना नि . 173 (अ) चुकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के पिन्हार और आधिक अपबंचन की रोकशाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपील्स गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिनम्मय, उक्त अभिममय के अनुच्छेद-29 के अनुमार उक्त अभिममय को लागू करने के लिए दोनों ही मंबिदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पण्चात् 21 मार्च, 1994 की प्रवृत्त हो गया है;

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (196) कर 43) की श्रास 90 इंग्सा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एनद्द्वारा निर्देश देती है कि उम्त अभिनमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व-अपवंचन को रोकने के लिए

and where we can be a subject to the contract of the contract

भारत गणराज्य

और

फिसीपीन गणराज्य के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व-अपर्यंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से,

नीवे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:

र्वयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन ध्यक्तियों पर लागृ होगा जो संकिता-कारी राज्यों में से किसी एक अथना दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-३

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

यह अभिसमय प्रत्येक संविद्याकारी राज्य की ओर में आय पर लगाए गए करों पर लागू होगा, भले ही उनकों आयद करने का तरीका कुछ भी क्यों न हो।
 कुल आय पर, अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए मशी करों को आय पर कर के रूप में समझा जाएगा, जिन में चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण में प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर कर तथा उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल रकम पर कर भी भामिल है।
 जिन करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:—

(क) भारत में :

- (1) आयकर जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत लगाया गया कोई अधिभार भी शामिल है;
- (2) कम्पनी (लाभ) अतिकरअधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अंतर्गत लगाया गया अतिकर;

(जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)।

(ख) फिलीपीन में :

फिलीपीन गणराज्य की सरकार द्वारा लगाए गए आयकर (जिन्हें इसके बाद'' फिलीपीन कर'' कहा जाएगा)।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागृ होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा मौजूदा अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानुनों में किए जाते हैं।

अनु*च्*छे**द-** 3

सामान्य परिभाषाएं

 इस अभिसमय में जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "भारत" एटव से अभिप्रेत है—भारत का रायक श्रेय और उसमें जामित है राज्य-प्रेहीन रामझ और उसमें जामित है राज्य-प्रेहीन रामझ और उसमें अपर का बाबु मण्डलीय क्षेत्र आर सारतीय कातृन तथा अन्तरराष्ट्रीय कातृन/समूद्र के कातृनीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिममय के अनुसार भारत के प्रभुमत्ता सम्यन्त अधिकार, अत्य अधिकार तथा भेवाधिकार हों;
- (ख) "फिलीपीन" शब्द से अभिप्रेत है—फिलीपीन गणराज्य और जब इसका किसी भौगोलिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तां इस का अर्थ है फिलीपीन गणराज्य को समाविष्ट करने वाला राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र;
- (ग) 'एक सिवदाकारी राज्य'' और ''दूसरा सेविदा-कारी राज्य'' पदों में विश्वयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथका फिलीपीन अभिप्रेत है;
- (घ) "कर" मन्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अश्वता फिलीपीन कर अश्वता फिलीपीन कर अश्वता फिलीपीन कर अश्वती है, के किन इसमें कोई ऐसी रकम गामिल नहीं होगी जो करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड को निरूपित करते हैं;
- (इ.) ''व्यक्ति'' शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी और अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कर कानूनों के अंतर्गत कोई अन्य कराधेय इकाई शामिल है;
- (च) "कंपनी" णब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत हैं जिसे अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कर कानृनों के अंतर्गत एक कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;
- (छ) ''एक संविदाकारी राज्य का उद्यम'' और ''दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम'' पदों से कमणः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई ऊद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा सचालित कोई उधम ग्रभिप्रेन हैं;
- (ज) ''सक्षम प्राधिकारी'' पद से अभिप्रेत हैं—भारत में केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि; और फिलीपीन के मामले में, वित्त संचिव अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(झ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिश्रेत है—िकिसी संजिदा-कारी राज्य को नागरिकता प्राप्त कोई व्यप्टि और उस संविदाकारी राज्य से प्रवृत्त कानूनों से अपनी हैसियन प्राप्त करने वाला कोई विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा संस्था;

(अ) ''अन्तरराष्ट्रीय यानायात'' पद से अभिप्रेत है—
किसी ऐसं जलपान अथवा वायुवान द्वारा कोई
भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के
किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस
स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुवान
केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के
बीच ही चलाया जाता हो।

2. जहां तक किसी संविदातारी राज्य द्वारा इस अभिसाय के प्रयम्न का संबंध है, किसी गव्द का, जो उसमें पिन्भाषित नहीं हुआ हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

भ्रमुच्छेद-4 निवासी

- 1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, 'किसी संविदाकारी राज्य का निवासी'' पद से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा ब्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के ग्रंतर्गन उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण, वहां पर कर लगाया जा सकता है। लेकिन इस पद में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में उसके स्रोतों से प्राप्त ग्राय पर ही उस राज्य में कर लगता है।
- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यध्टि वोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियन निम्नान्सार तय की जाएगी;
 - (क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविद्याकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत श्रीर श्राधिक संबंध धनिष्ठ-तर (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) है;
 - (ख) यदि उस संविद्यकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि इसके पास दोनों संविदा-वारी राज्यों में से किसी की सावदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो,

तो वह उन संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह श्रादनन रहना हो;

- (ग) यदि बहु आदतन दोनो ही राज्यों में रहता हो, श्रथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे;

3. नहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उप-बंधों के कारण, दोनो संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रवंध-स्थान स्थित है।

जहां वास्तविक प्रवंध-स्थान को तय नहीं किया जा सकता हो, वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रण्न का निर्णय करेंगे।

ग्रनु=छेद-5 स्थायी संस्थापन

- इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ ''स्थायी संस्थापन'' पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहां किसी उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।
- "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्मिलिखित शामिल होंगे :---
 - (क) प्रबंध-व्यवस्था का कोई स्थान;
 - (ख) कोई शाखाः
 - (ग) कोई कार्याजय;
 - (घ) कोई कारखाना;
 - (इ) कोई कार्यणाला;
 - (च) कांई खान, तेल श्रयवा गैस का कोंई क्रुग्रां, कोई खदान श्रयवा प्राकृतिक संशाधनों के निष्कर्षण का कोई श्रन्य स्थान;
 - (छ) प्राकृतिक संसाधनों की खोज का कोई स्थान;
 - (ज) कोई भवन-स्थल, निर्माण परियोजना श्रयवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्य-कलाप जहां, ऐसा स्थल परियोजना श्रथवा कार्यकलाप छ: माह से भ्रधिक की श्रवधि के लिए जारों रहता है;
 - (भ) कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो।

- 3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित की शामिल नहीं माना जाएगा:—
 - (क) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डा-रण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ मुवि-धान्नों का प्रयोग;
 - (ख) केंबल भण्डारण, प्रदर्णन ग्रथवा डिलीवरी के प्रयोज नार्थ उद्यम के माल ग्रथवा पण्य-वस्तुओं का कोई र स्टाक रखना,
 - (ग) किमी श्रन्य उद्यम द्वारा कैवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल ग्रथवा पण्य-वस्तुक्रों कोई स्टाक रखना;
 - (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल कय करने अथवा सूचन। एकत करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखनाः
 - (ङ) उद्यम के लिए केवल किसा प्रारंभिक प्रयवा महा-यक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
 - (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) में उहिलखित कार्य-कलायों के मात्र संयोजन के लिए कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना, बणतें कि इस संयोजन के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक भ्रथवा सहायक स्थरूप के हों।
- 4 किसी व्यक्ति को, जो एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की क्रोर में कार्य कर रहा हो (किसी स्वतंत्र हैसियत के श्रीभकर्ता से भिन्न जिस पर पैराग्राफ-6 लागू होता है) प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा, यदि;
 - (क) उसे उकत उद्यम की श्रीर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो श्रीर वह श्रामतीर से उस राज्य में प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उस व्यक्ति के कार्यकलाप इस श्रनु-च्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित उन कार्यकलापों तक सीमित नहीं हों, श्रथवा
 - (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार र ही हों, परन्तु यह प्रथमोद्धन राज्य में श्रामतीर पर माल का श्रथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टाकः रखता हो जिलमें से वह उद्यम की श्रोर से माल अथवा पण्य-वरनुओं की नियमित रूप से डिलीबीरी वरता हो अथवा
 - (ग) इस प्रकार के कार्य में वह उद्यम के लिए उद्यम का माल अथवा पण्य-वस्तुओं का इस राज्य में निर्माण करता है, अथवा उन्हें संसाधित करता है।

- 5. एक संविद्याकारी राज्य के किसी वीमा उद्यम, सिवाय पूनर्वीमा के संबंध में, के बारे में यह समझ्य जाएगा कि वह दूसरे राज्य में कोई स्थायों संस्थापन राज्या हो यदि वह उस राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम बसूल करता है अथवा किसी कर्मचारी के माध्यम से अथवा किसी ऐसे प्रतिनिधि के माध्यम से उस राज्य में प्रवस्थित जोखिमों का बीजा करता है जो किसी स्वतंत्र हैसियत का कोई प्रभिक्ता नहीं हो।
- 6. किसी उद्यम का किसी संविद्याकारों राज्य में मान इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में दलाल, सामान्य कमीशन एजेट अववा स्वतंत्र हैिम्यत वाले किसी अवय एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बणर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम मामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन जब इस तरह के कियी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा अधिकांण रूप से पूर्णतः उद्यम की ब्रोर से किए जाते हो तो इस पैराग्राफ के अभित्राय के अन्तर्गत उसे एक स्वतंत्र हैिम्यत का एजेंट नहीं समझ। आएगा, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि एजेंट और उद्यम के बीव लन्देन भिन्न स्थित के अधीन नहीं किया गया था। ऐसे मामले में पैराग्राफ 4 के उपवंध लागू होंगे।
- 7. यदि काई कम्पनी जो एक सिबंदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंतित करती है अथवा उससे नियंतित होती है, जो दूसरे सिबंदाकारी राज्य की निवासों है अथवा जो दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार करती हैं तो मान्न इस तथ्य से ही उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी अपने आप में दूसरी कंपनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं मानी जाएगी।

ग्रनुच्छेर-6 ग्रचल सम्पत्ति में ग्राय

- एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित भ्रचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की भ्राय भी शामिल है) में प्राप्त श्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा मकेगा।
- 2. "स्रचल सम्पत्ति" पद का स्रथं वही होगा जो उस मंबिदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका स्रथं है जिसमें संबंधित सम्पत्ति म्थित है। इस पद में किसी भी दशा में ये शामिल होंगे— अचल सम्पत्ति के श्रवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे स्रधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, सचल सम्पत्ति को भोगने के श्रधि-कार और खनिज भण्डार, श्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनीं के संचालन के लिए, अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय श्रथवा नियत श्रदायियों के अधिकार। जलयान, नौकाएं तथा विमान स्रवल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, श्रचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी श्रन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली श्राय पर भी लागू होंगे।
- .4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध, किसी उद्यम की प्रचल सम्पत्ति ने ग्रजित ग्राय पर, तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त ग्रचल सम्पत्ति से ग्रजित ग्राय पर भी लागू होंगे।

श्रनुच्छेद−7

व्यापारिक लाभ

- 1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लामों पर केशल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के साध्यम से उस राज्य में कारीबार नहीं करता हो । यदि वह उद्यम उपर्यक्त तरीके से कारीबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकना है, किन्तु उसके केशल उतने अंग पर ही कर लगाया जा सकेगा जितना कि उस स्थायी संस्थापन के. कारण हो ।
- 2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के ग्रधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई जग्रम दूसरे मिवदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहां प्रखेक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभों को उस स्थायी संस्थापन के लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब ग्रपेक्षा रहती जब वह एक-समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुन्ना कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।
- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्थीकार किया जाएगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारीबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रणामनिक व्यग भी णामिल हों, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है प्रथवा प्रन्यल किए गए हैं।
- 4 गहां किसी संविदाणारी राज्य में उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में धनुभाजित किए जाने के ग्राधार पर, पिसी स्थापों संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए माने जाने बाले लाभों को तब करने की प्रथा रही है, वहां पैराक्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य की कर लगने बाले लाभों के ऐसी प्रथागत अनुभाजन-पद्धति के ग्राधार पर निर्वारण से प्रतिवादित नहीं करेगी, लेकिन अपनीई गई अनुभाजन-पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

- 5. कोई ताभ केवल इस कारण में किसी स्थायी संस्थापत की प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ब्रारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं।
- 6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विषरीत कोई ठोक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।
- 7. जहां लाभों में ग्राय की वे मर्दे शामिल हैं जिनका इस ग्राभिममय के भ्रम्य भ्रमुच्छेदों में विभेचन विध्या गया है, बहां उन श्रमुच्छेदों के उपवंध इस अनुच्छेद के उपवंधों में प्रभावित नहीं होंगें।

श्रन्च्छेद-८

विमान परिवहन

- किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यानायान में वायुयान के परिचालन मे प्राप्त लाभी पर उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2 पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, श्रास्य संविधा-कारी राज्य के किसी जद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान-परिचालन से किसी संविदाकारी राज्य के श्रंदर श्राजित स्त्रोतों से प्राप्त हुए लाभों पर प्रथमोक्त राज्य में उसके श्रांतरिक कानूनों के श्रनुसार कर लगेगा लेकिन लगाए गए इस श्रकार के कर को चालीन प्रतिशत तक कम किया जाएगा । तथापि, किसी भी श्रवस्था में लगाया गया ऐसा कर किसी तीमरे देश के किसी निवासी द्वारा समान परिस्थितियों में उसी प्रकार के प्राप्त लाभों पर लगाए गए फिलोपीन कर की न्यूनतम दर से अधिक नहीं होगा।
- 3. पैराग्राफ 1 श्रौर 2 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार श्रथवा किसी धन्तरराष्ट्रंत्य परिचालन श्रभि-करण में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

भ्रमुछेद-9

जहाजरानी

- अनारराष्ट्रीय यानायात में जलयानों के मंत्रालन से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर उस संविदाकारी राज्य मे ही कर लगेगा ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, भ्रत्य संविदा-कारी राज्य के किसी उद्यम श्वारा श्रनारराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन में किसी संविदाकारी राज्य के अदर स्रोतों ने श्रजित हुए लाओं पर प्रथमोक्त राज्य में उसके श्रान्तरिक कानून के श्रनुसार कर लगेगा, लेकिन लगाए गए इस प्रकार के कर को चालीस प्रशिशत तक कम किया जाएगा। तथापि, विसी भी श्रवस्था में लगाया गया ऐसा

कर किसी तीसरे देश के किसी निवासी द्वारा समान परिस्थिन तियों में उसी प्रकार के प्राप्त लाभों पर लगाए गए फिलीन पीन कर की न्यूनतम दर से प्रधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पूल , किसी रायुक्त कारोबार प्रथवा किसी अल्पापट्टीय परिचालन स्रिभिकरण में भाग तेने से प्राप्त लाओं पर भी लाग होंगे।

भन्च्छेद-10

सम्बद्ध उद्यम

- 1. जहां :
- (क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण ग्रथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः श्रथवा श्रप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; श्रथवा
- (ख) वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आग लेते हैं, और दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी गर्तें रखी अथवा लगाई जाती हों जो उन गर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के वीच रखी जाती हों, तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन गर्तों के नहीं होने की दशा में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुन्ना होता, परन्तु उन गर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुना, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलत किया जा सकेगा और उस पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविद्याकारी राज्य उम राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सिम्मिलित करता है—और तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सिम्मिलित करता है जो प्रथमो-क्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यिद्य दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई हाती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राणि के वराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस ग्रभिसमय के ग्रन्य उपवधीं को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि ग्रावण्यक हो नो संविद्यान करेगी । उन प्रकार के साथ प्रामर्श करेंगे।

प्रनुच्छेद-11

लाभांग

1. एक लेक्दिकारी राज्य की निवासी किमी कंपनी इतरा दूतरे संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी को भया किए गए लाशांग पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

- 2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदालारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिस राज्य का निर्मात ग्रदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के प्रतुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभाकों का जिल्लागी स्वाभी है तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्न-लिखित से अधिक नहीं होगा :
 - (क) लाभांगों की सकल रकम का 15 प्रतिणत, यदि हितभागी स्वामी कोई ऐसी कंपनी है, जो लाभांग ग्रदा करने वाली कंपनी के कम से ग्रम 10 प्रतिणत शेयरों की स्वाभी हों;
 - (ख) अन्य सभी मामलों में लाभाशों की सकल रकम का 20 प्रतिशत ।

यह पैरा<mark>प्राफ ऐसे लाभों के माम</mark>ले में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांण श्रदा किए जाने हैं।

- 3. इस अनु च्छेद में यथाप्रयुवत "लाभांण" पद का अर्थ है—ग्रेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आग, जो ऋण-दावे नहीं हों और जो लाभों में मिम्मिलित हों, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर किसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जम राज्य की वितरण करने वाली कंपनी निवासी है ।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांगों का हितभागी स्त्रामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होंगे के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांग ग्रदा करने वाली कंपनी निवासी हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम में कारोबार करता हो ग्रथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उसमें स्वतंत्र क्यक्तिगत मेवाएं करता हो और वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांग ग्रदा किए जाते हैं, इस प्रकार के स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हों। ऐसे मामले में यथास्थिति श्रनुष्ठिंद-7 तथा ग्रनुष्ठिंद 15 के उपबंध लागू होंगे।
- 5. जहां कोई बंपनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है. दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ प्रथवा श्राय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी बारा ध्रदा किए गए लाभांगों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांग ध्रदा नहीं किए जाते ध्रयवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांग ध्रदा किए जाते हैं, जस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से प्रथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावों रूप से संबंधित नहीं है अथवा कंपनी के प्रवितरित लाभों पर लगाया जा सकने वाला ध्रवितरित लाभों गंबंधी कर नहीं लगाया जाएगा भी ही घ्रदा किए गए लाभांगां ध्रयथा ध्रदितरित लाभ पूर्ण रूप से ध्रयथा ध्रांशिभ रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ ध्रव्य ग्राविभ स्था से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ ध्रव्य ग्राविभ स्था से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ ध्रव्य ग्राविभ स्था के रूप में ही हों।

अनुष्टेद-13

व्याज

गुक संविदाकारी राज्य में उद्भृत होने वाले तथा दूसर राज्य के निवासी की छदा किए जाने बाँव व्याप पण उस दूसरे राज्य मैं कर समेगा।

- 2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी प्रौर उस राज्य के कानून के ध्रनुसार कर नगाया जाएगा जिस राज्य में यह उदभत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर की राणि निम्मिलिखत से श्रीधक नहीं होगी
 - (क) ब्याज की सकल राणि का 10 प्रतिणत, यदि ऐसा ब्याज किसी विलीय संस्था (जिसमें बीमा कंपनियां भी शामिल हैं) हारा प्राप्त किया जाता है:
 - (त्व) िकसी ऐसी कंपनी द्वारा जो फिलीपीन की निवासी है भारत के किसी निवासी को बंधपतों के मार्व-जनिक निर्गम, ऋणपतों अथवा इसी प्रकार की-वाध्यताओं के संबंध में अदा किए गए ब्याज पर फिलीपीन कर ब्याज की सकल राणि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और
 - (ग) श्रन्य सभी मामलों में त्याज की मकल राणि का 15 प्रतिगत।
 - 3. पैराग्राफ 2 के उपवंधों के होते हुए भी :
 - (क) किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने बाले व्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा हिनभागी रूप से रखा गया हो:
 - (i) दूसरे संत्रिदाकारी राज्य की सरकार, उसका राजनीतिक उपप्रभाग श्रथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; श्रथवा
 - (ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का नेस्ट्रल वैंक;
 - (iii) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीम आदान-प्रदान किए गए पत्नों में यथा विनिर्दिष्ट श्रीर सहमित-प्राप्त उधार देने वाली ग्रन्थ संस्थाएं।
 - (ख) किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनु-मोदित सीमा तक उस राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी. यदि वह (उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न) किसी भी ऐसे व्यक्ति हारा प्राप्त किया जाता है ग्रौर हितभागी रूप से श्रारण किया जाता है जो दूसरे संविदाकारी

राज्य का निवासी है, तणतें कि अपूल-दावा जलाक्ष करने वाले लेन-देन को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा दस बारे में सनुमोदिन किया गया हो।

- 4. इग अनुच्छेद में यशाप्रयुक्त 'व्याज जब्द से अभि-प्रत हैं — प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दाओं से प्राप्त आय, जिसमें किसी औद्योगिक, वाणिज्यक अथवा वैज्ञानिक उप-रकर की केंद्रिट पर विकी से प्राप्त आय भी शामिल है, चाहे वे गिरती रखे जाने के द्वारा सूरक्षित हों प्रथवा मही और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का प्रधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खासतौर पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपन्नों अथवा ऋणपन्नों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंधपन्नों अथवा ऋणपन्नों से प्राप्त प्राय जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंधपन्नों अथवा ऋणपन्नों से विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों जाएगा।
- 5. पैराग्राफ 1 श्रौर 2 के उपबंध उस स्थिति में लागृ नहीं होंगे यदि व्याज का हिनभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ज्याज प्रोद्भृत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार भलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निव्चित स्थान से स्वतंत्र वैयवितक सेवाएं करता है, श्रौर जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो, वह दावा इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निव्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में यथास्थित अनुच्छेद 7 या 15 के उपवंध, लागृ होंगें।
- 6. किसी संविद्याकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भृत हुआ माना जाएगा, जब व्याज श्रदा करने वाला स्वयं वह संविद्याकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण श्रथ्या निवासी हो। किन्तु जहां व्याज श्रदा करने वाला व्यक्ति, चाहे वह किसी संविद्याकारी राज्य का निवासी हो श्रथ्या नहीं, संविद्याकारी राज्य का निवासी हो श्रथ्या नहीं, संविद्याकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन श्रथ्या निष्धित स्थान रखता है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की श्रदायगी की जाती है, श्रीर इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन श्रय्या निष्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का व्याज उस संविद्याकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन श्रयवा निष्चित है।
- 7. जहां व्याज श्रदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच श्रयवा उन दोनों श्रौर किसी ग्रन्य व्यक्ति के बीच एक विषेष प्रकार का संबंध होने के कारण व्याज की रकम, उस अरण-दावें को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की उक्त रकम ग्रदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में श्रदा-कर्ता ग्रीर हितभागी स्थामी के बीच सहमति हो गई होती,

वहां उस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित राणि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, श्रदा की गई रकमों के श्रविरित्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को सम्यक् ध्यान में रखते हुए अत्येक संविद्याश्यारी राज्य के कात्नों के श्रवृतार कर जनाया जाता रहेगा।

प्रन्ष्छेद-13

रायल्टियां

- एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली धौर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को श्रदा की गई रायित्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा मकेगा।
- 2. तथापि, ऐसी रायित्यों पर उस संविद्याकारी राज्य में भी , जिसमें वे उद्भूत होती हैं ग्रीर उसी राज्य के कानून के ग्रनुसार कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायित्यों का हिन्भागी स्वामी होती इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायित्यों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से ग्रिधिक नहीं होगी, बगर्ने कि ऐसी रायित्यां भूगतान ग्रीय हों :---
 - (i) फिलीपीन के मामले में, किसी ऐसे उद्यम द्वारा जो निवेश बोर्ड के पास पंजीकृत हैं; छौर
 - (ii) भारत के मामले में, भारत सरकार द्वारा द्वारा श्रनुमोदित किसी सहयोगी करार के श्रनुमरण में किसी उद्यम द्वारा।
- 3. इस प्रमुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायिल्टयां" गट्य में साहित्यिक, कलात्मक श्रथवा वैज्ञानिक हृतियों का कोई स्वत्वाधिकार जिनमें चलचिव फिल्में श्रथवा रेडियो श्रथवा दूरदर्णन प्रसारण के मंबंध में प्रयुक्त फिल्में श्रथवा टेपें भी शामिल है, कोई पंटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाइन श्रथवा माडल, प्लान, गुष्न फार्मुला श्रथवा प्रक्रिया के प्रयोग श्रथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में श्रथवा श्रीद्योगिक, वाणिज्यिक श्रथवा बैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए श्रथवा प्रयोगाधिकार के लिए श्रथवा श्रीद्योगिक, वाणिज्यक श्रथवा बैज्ञानिक श्रमुभव से संबंधित जानकारों के लिए प्राप्त किसी प्रकार की श्रदायगी श्रभिष्रेत है।
- 4. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायिल्टयों का हिनभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनमें रायिल्टयां उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निविचत स्थान से स्वतंत्र वैयंक्तिक सेवाएं करता है और जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायिल्टयां अदा की जाती हैं, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निविचत स्थान से संबंधित हैं। ऐसे सामने में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, जैसा भी सामला हो, लागू होंगे।

- 5. एक संविद्याकारी राज्य में रायित्यां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब रायित्यां अदा करने वाला स्थयं राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीन प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निनासी हो। तथापि, जहां रायित्यां अदा करने वाल व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविद्याकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हों एक सिव्याकारी राज्य में ऐसा कोई स्थानी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायित्यां अदा करने वा वचन दिया गया हो और ऐसी रायित्यां उस स्थानी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हारा बहुन की जाती हों, वहां पर ऐसी रायित्यां उस संविद्यां उस संविद्यां राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थानी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है।
- 6. जहां अदाकर्ता और हितभाग स्वामी के बीच उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायिन्टियों की रकम, इसके उपयोग अधिकार अथवा सूचना, जिसके लिए इंसकी अदायगी की गई थी, उस रकम से बढ़ जीती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमति हुई होती वहां, इस अनुच्छेद के उपवन्ध केवल अंतिम वणित रकम पर ही लाग होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकभों के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपवन्धों को सम्यक् रूप में ध्यान में रखते हुए ऐसे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाता रहेगा।

अनुच्छेद-14

प्ंजीगत लाभ

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनु-च्छेद 6 में यथा-उल्लिबित और दूसर संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सपित के अन्तरण में प्राप्त अभिनाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभि-लाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थापी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राजा के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्व वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध हैं, जिसमें किसी ऐसी स्थापी संस्थापन (अकेले अथवा भुकरमल उद्यम क साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, ऐसे अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- 3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले अल-यानी अथवा वायुयानों के अन्तरण से अथवा ऐसे अवयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्बत्ति के अन्तरण में होने वाले अभिलाभों पर केवल उस संतिवाजारी

राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

- 4. किसी ऐसी कंपनी के भेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिजाभों पर, जिसकी संपत्ति किसी संविद्याकारी राज्य में स्थित भुज्यतः अचल संपत्ति है, उसी राज्य में कर लगाया जा राकेगा। किसी ऐसी भागीदारी अथवा किसी त्यास के कारण ब्याज के अन्तरण से प्राप्त अभिजाभों पर, जिसकी संपत्ति किसी संविद्याकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अचल संपत्ति है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 5. पै ग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित संपत्ति है से भिन्न किसी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेर--15 स्वतन्त्र वैयक्तिक मेवाएं

- 1. एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा श्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतन्त्र स्वरूप वाले उसी तरह के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्निनिखित परि-स्थितियों को छोड़कर, अंब ऐसी आय पर दूसरे संविद्याकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी:
- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निष्चित स्थान नियमित रूप में उपलब्ध है तो, उस मामले में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निष्चित स्थान के कारण उद्भृत हुई मानी जा सकती हैं; अथवा
- (ख) यदि प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में उस अवधि अथवा अवधियां, जो भारत गणराज्य के मामले में संगत ''पूर्ववर्ती वर्ष'' में अथवा फीलीपीन गणराज्य के मामले में ''कैलेण्डर भवर्ष'' में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक न हो, के लिए उपस्थित रहता है।।
- 2. "व्यावसायिक मेवाएं" पद को अर्थ-विस्तार के अन्तर्गत स्वतन्त्र वैज्ञानिक, माहित्यिक, कलात्मक, ग्रीक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतन्त्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनु**च्छेद—~** 16

पराक्षित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुंच्छेष 17 (निदेशकों की फीस), 18 (मनो-रंजनकर्ता तथा खिलाड़ी), 19 (सरकारी सेवाएं), 20 (गैर-सरकारी पेंगन तथा वार्षिकियां), 21 (विद्यार्थी तथा प्रशिक्षु और 22 (प्रोफेसर तथा अध्यापक) के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकरी राज्य के किसी निवासी 853 GI|96—2

- द्वारा किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उक्त नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजन से प्राप्त पारि-श्रमिक पर हूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमीलिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:
- (क) प्राप्तकर्ता, भारत गणराज्य के माम ले में संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में "कैलेण्डर वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अविध अथवा अविधियों के लिए उस पूसरे राज्य में मौजूद रहा हो;
- (ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की जाती है, जो दूसरे राज्य का नियासी नहीं हैं, और
- (ग) पारिश्रमिक, किसी ऐसे स्थापी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।
- 3. इस अनुष्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के संबंध में उस पर सवार होकर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्**छेद--**17 निदेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की गई निदेशक फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

त्रनुच्छेद --- 1 **8**

मनोरंजनकर्ता श्रौर खिलाडी

1. ग्रनुष्छेद 15 (स्वतंत्र वैयिक्तिक सेवाएं) तथा 16 (पराश्रित वैयिक्तिक सेवाएं) के उपवंद्यों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मेनोरंजनकर्ता जैसे थियेटर, चलचित्र, रेड़ियों श्रथवा दूरदर्शन कलाकार भ्रथवा एक संगीतकार भ्रथवा एक खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकरी राज्य में किए गए इस प्रकार के भ्रपने वैयिक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त भ्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेंगा।

- 2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा श्रपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त स्राय स्वयं मनोरंजनकर्ताया खिलाडी को प्राप्त नहीं हो कर किसी श्रन्य व्यक्ति को प्राप्त हो तो उस स्थिति में उस स्राप पर अनुच्छेद ७ (कारोबार से लाभ), 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) तथा 16 (पराश्चित वैयक्तिय सेवाएं) के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लााया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाव किए जाते हैं।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्ना अथवा किसी खिलाडी द्वारा, जो एक संविदा-कारी राज्य का निवासी है, दूसरे संधिदाकारी राज्य में उसी हैसात से किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापी से प्रजित प्राय प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कराधेय होगी यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के कार्यकलाप सांस्कृतिक स्रादान प्रदान के लिए दोनों संबिदाकारी राज्यों की सरकारों केबीच किसी विशेष कार्यऋप के ग्रन्सरण में किए गए हों, तथा प्रथमीरिविखत संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधि श्रथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग श्रथवा स्थानीय प्राधिकरण श्रथवा किसी मांविधिक निकाय श्रयवा लाभ-निरपेक्ष संगठन की निधियों से पर्याप्ततः समर्थित हों तथा जिन्हें उक्त राज्य के सक्षम प्राधि-कारी द्वारा इस उपवंध के श्रध्याधीन श्रईत(कारी रूप में प्रमाणित किया गया हो।
- 4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ), 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं), तथा 16 (पराश्विन वैयक्तिक सेवाएं) के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियन में किसी संविदाकारी राज्य में किए गए ब्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त स्राय स्वयं मनोरंजनकर्ता अपथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है श्रपित किसी श्रन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह भ्राय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी यदि किसी मनोरंजनकर्ता ग्रथवा किसी खिलाडी द्वारा ऐसे कार्यकलाप सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान के लिए दो संविदाकारी राज्यों के बीच किसी बिशेष कार्यऋम के भ्रन्यरण में किए गए हों, तथा उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधि, किसी राजनैतिक प्रभाग श्रथवा किसी स्थानीय प्रार्धिकरण श्रथवा किसी सांविधिक निकाय ग्रथवा किसी लाभ-निरपेक्ष संगठन की निधियों से पर्याप्ततः समर्थित हो तथा जिन्हें जक्त दूसरे राज्य, जिसका बह निवासी है. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्हताकारी रूप से प्रमाणित किया गया हो ।

ंग्रन्च्छेद-- 19

सरकारी सेवा

ver i liber sie verwier verwer

- (क) एक संविदाकारी राज्य श्रथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किमी स्थानीय प्राधिकरण हारा किसी व्यप्टि को उस राज्य ग्र**थवा** उप-प्रभाग ग्रथवा प्राधिकरण केलिए की गई सेवाओं के निमित्त प्रदन, पेंशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा;
- . (ख) लेकिन ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा वह व्यप्टि उस राज्य का निवासी है,
 - (i) उस राज्य का राष्ट्रिक है; भ्रथवा
 - (ii) माल्ल सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं अना था।
- 2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग श्रथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सुजित की गई निधि में से किसी ब्यप्टि को उस संविदाकारी राज्य के हारा उस राज्य ग्रथवा उप-प्रभाग ग्रथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किभी पेंगन पर कैवल उसी राज्य में करलगसकेगा;
- (ख) लेकिन ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि वह व्यप्टि उक्त दूसरे राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो।
- 3. ग्रनुष्छेद 16 [पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं] 17 [निदेशकों की फीस] तथा 20) (गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकियां) के उपबंध किसी गंविदाकारी उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग ग्रथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए के सिलिंगले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंगन पर लाग होगे।

अनुच्छेद --- 20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकिशां

- 1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दुसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्वोतों किसी भी प्रकार की पेंशन परन्तू ग्रन्च्छेद उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न, ग्रथवा किसी भी प्रकार की वार्षिकियों पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।
- 2. "पेंशन" पद का अभिप्राय पिछली सेवाओं के प्रतिफल के रूप में श्रथवा भेवाओं के निष्पादन के दौरान लगी चोटों की क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली किसी भावधिक भ्रवायगी से है।

3. ''वार्षिकी'' पद से श्रभिश्राय, भ्रथवा धन के मृत्य के रूप में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल एवज में दायिस्बों के ग्रध्यधीन जीवन-पर्यन्त श्रथवा किसी विनिधिष्ट श्रथवा निश्चित समयाबधि दौरान निश्चित समय पर प्राविधिक श्राधार निश्चित राशि की प्रदायगी से

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी और प्रणिक्ष

 किसी विद्यार्थी ग्रथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त संविदाकारी राज्यों में से किसी भी दोनों संविदाकारी राज्य का निवासी भ्रयनी प्रशिक्षण और जो मात्र शिक्षा ग्रथवा के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य Ħ उपस्थित

निम्नलिखिश पर उसे दूसरे राज्य में कर से छट प्राप्त होगी:

- (क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों ढारा उसके भरण-पोर्दण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गई श्रदायिगयां ; श्रीर
- (ख) भारत गणराज्य के मामले में किसी ''पूर्ववर्ती श्रथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले दूसरे ''कैलेंडर वर्ष'' के दौरान उस नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक, जो 15,000 रुपए फिलीपीन की मुद्रा में ग्रथवा इसके ग्रधिक नहीं हो बणतें कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः संबंधित उसके श्रध्ययन से हो भरण-पोष**ण** के प्रयोजनार्थ किया गया हो।
- 2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अविधि के लिए लागू होगा जो णुरू किए गाए णिक्षण अथवा प्रणिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यष्टि को किसी भी हालत में ये उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार तीन वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होगा।
- ग्रनुच्छेद के पैराग्राफ 2. 崔杆 ग्रीर 1 उलिखित राशियों की समय-समय पर समीक्षा दोनों संविदाकारी राज्यों के कारियों द्वारा की जाएगी अौर उस पर सहमति जाएगी।

अनु च्छेद-22

प्रोफेसर तथा अध्यापक

 किसी प्रोफेसर ग्रथवा ग्रध्यापक की, जो दूसरे संविदा-कारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय प्रथवा किसी प्रत्य प्रनुमोदित संस्थान में शिक्षण प्रथवा ग्रनुमंधान प्रथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दोरा करने में तत्काल पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में में किसी एक राज्य का निवासी है श्रथवा था, उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से ग्रनिधिक की ग्रविध के लिए ऐसे ग्रध्यापन ग्रथवा ग्रमुसंधान के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

- 2. यह श्रन्च्छेद एसे श्रनुसंधान से प्राप्त श्राय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा चनुसंदान मूलत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों विशेष के लिजी लाभ के लिए किया गया हो ।
- 3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी व्यप्टि को एक भविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह भारत गणराज्य के मामले में "पूर्ववर्ती वर्ष" श्रयवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में "कैलेण्डर वर्ष" में उस संविदाकारी राज्य का निवासी है, जिसमें वह दूसरे मंविदाकारी राज्य का दौरा करता है श्रयवा "पूर्ववर्ती वर्ष" श्रयवा "श्राय वर्ष" से तत्काल पूर्व दौरा करता है।
- 4. पैराप्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "ग्रनुमोदित संस्थान" से ग्रामिप्राय ऐसे संस्थान से है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बारे में ग्रनुमोदिल किया गया हो ।

अनु च्छेद- 23

अन्य आय

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निधासी की ध्राय की मदो पर जड़ां-कही वे उद्भूत होती है और जिनके बारे में इस ग्राभिसमय के पूर्ववर्ती ध्रमुक्छेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, उस राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-24

दोहरे कराधान का अपाकरण

- 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में प्रवृत्त कानृन संबंधित संविदाकारी राज्यों में भ्राय पर कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस करार में उनके विपरीत प्रावधान किया जाता है।
- 2. फिलीपीन के कान्नों के श्रध्यधीन तथा इस ग्रिभ-समय के उपबंधों के श्रनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा फिलीपीन में उद्भूत हुए लाभों श्रथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत और फिलीपीन, दोनों ही देशों में कर लगाया जा सकता है, देय फिलीपीन के कर की राणि, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो श्रथवा उसकी कटौती की गई हो, पर ऐसे लाभों श्रथवा श्राय के संबंध में देव भारतीय कर के

लिए जमा-खाते की अनुमित दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि भारतीय कर (ऐसे जमा-खाते, की अनुमित दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित) की राशि से अधिक नहीं हो, जो फिलीपीन में उद्भृत हुए लाओं अथवा आय के अनुकल हो। इसके अलावा, जहां कोई निवासी ऐसी कंपनी हो, जिसके द्वारा भारत में अतिकर की अवायगी की जाती है ऐसी स्थिति में भारत में उस कंपनी द्वारा देय आयकर तथा भारत में उस कंपनी द्वारा देय आयकर तथा भारत में उस कंपनी द्वारा देय आवकर पर अधिशेष, यदि कोई हो, पर प्रथमतः उपर्यक्त जमा-खाते की अनुमित दी अध्या

- 3 "देय फिलीपीन कर" पद में फिलीपीन कर की वह राशा भी शामिल मानी जाएगी, जिसे उस स्थिति में अदा किया गया होता यदि उइस श्रीभसमय के अनुसार तथा इस श्रीभसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन करके अथवा उनमें परिवर्तन करके अविषय में लागू किए जाने वाले फिलीपीन के कर कान्नों के अनुसार फिलीपीन में आर्थिक विकास के संवर्दन के लिए क्याए गए विश्रेष प्रोत्साहनकारी कान्नों के अनुसार फिलीपीन कर की खूट नहीं दी गई होती श्रथवा कटौती नहीं की गई होती ।
- 4. भारत के कानूनों के प्रध्यधीन तथा इस प्रभिसमय के इपनंतों के प्रमुसार फिलीपीन के किसी निवासी द्वारा भारत में उद्भूत हुए लाओं प्रथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत और फिलीपीन दोनों ही देशों में कर लगाया जा सकता, देय भारतीय कर की राशि, चाई वह प्रत्यक्ष रूप से ही दी गई हो प्रथवा उसकी कटौती की गई हो, पर ऐसे लाओं प्रथवा प्राय के संबंध में देय फिलीपीन कर के लिए जमा-खाते की प्रनुमति दी जाएगी, बंगतें कि ऐसी राशि फिलीपीन कर (ऐसे जमा-खाते की प्रनुमति दिए जाने से यथा संगणित) की राशि से प्रधिक नहीं हो, जो भारत में उद्भूत हुए लाओं प्रथवा प्राय के प्रनुकूल हो।
- 5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित जमा-खाते के प्रयोजनार्थ, "श्रेय भारतीय कर" पव में कोई भी ऐसी राशि शामिल सम्बद्धी जाएगी, जो किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में भवा की जाने योग्य होती यदि जिसके लिए, शाधिक विकास के संवर्धन के प्रयोजनार्थ श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के श्रध्यधीन श्रयवा भारत में शाधिक विकास के संवर्धन के प्रयोजनार्थ मौजूदा उपबंधों में संशोधन करते हुए श्रयवा परिवर्धन करते हुए एतद्पण्यात् लागू किए जाने वाले विशेष प्रोत्साहनकारी उपायों के श्रध्यधीन उस वर्ष के लिए श्रयवा उसके किसी भाग के लिए कर से छूट श्रयवा कटौती की श्रमुमित नहीं दी गई होती।

श्चन् च्छेव-25 सम-व्यवहार

 एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर वूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था ग्रथवा तत्संबंधी ऐसी कोई प्रपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो इस कराधान और संबंधित श्रपेक्षाओं से भिन्न श्रथता श्रपेक्षाकृत श्रधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर समान परिस्थितियों में लागृ होती हैं श्रथवा लागू हो सकती हैं।

- 2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से श्रपेक्षाकृत कम श्रनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के समान कार्यों में लगे हुए उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लगाया जाता है।
- 3. इस श्रनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह प्रयं नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनीं के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें, राहतें, घटौतियां और कटौतियां प्रदीन करने को बाध्य होगा, जो कानूनन केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जो वहां के निवासी हैं।
- 4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः श्रथया अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक श्रथवा एक से श्रधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः श्रथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व श्रथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान श्रथया तत्संबंधी कोई ऐसी श्रपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और सत्संबंधी श्रपेक्षाओं से भिन्न श्रथवा श्रपेक्षाकृत श्रधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के श्रन्य समान उद्यमों पर समान परिस्थितियों के श्रधीन लागू हैं श्रथवा लागू हो सकती हैं।
- 5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, दोनों संविदाकारी राज्य आवश्यक कारोबार प्रथवा ब्यापार के संवर्द्धन के मामले में उस राज्य द्वारा श्रपने राष्ट्रिकों को दिए गए कर के प्रोत्साहनों के लाभ को प्रतिबन्धित कर सकते हैं।
- ६. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद से वे कर प्रभिन्नेता हैं, जो इस अभिसमय के विषय हैं।

श्रनुष्छेद--- 2 6

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यकलापों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया आएगा, वह इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में वह उन राज्यों के आन्तरिक कानूनों द्वारा मुहैया किए गए उपायों के होते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है श्रथवा यदि उसका मामला श्रनुच्छेद 25 के पैराग्राफ

1 के अध्यधीन श्राता है, तो उस संविदाकारी राज्य को
प्रस्तुत करेगा जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला
उस प्रथम श्रधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर श्रवश्य
प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा कराधान उद्भूत
होता है, जो इस श्रभिसमय के उपबंधों के श्रनुसार नहीं
है।

- 2. यदि सक्षम प्राधिकारी को श्रापत्ति उचित लगे और यदि बह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान करने में श्रसमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस श्रभिसमय के उपबंधों के श्रनुरूप नहीं है, पूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।
- 3. इस श्रिभसमय के श्रयं-निरूपण श्रथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां श्रथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमित से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान के श्रपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श भी कर सकते हैं, जिनकी इस श्रभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हैं और जो इस श्रभिसमय के विषय हैं।
- 4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त पैराग्राफ के श्रभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक श्रादान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा श्रादान-प्रदान किसी श्रायोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

मनुच्छेद—- 2*7*

सूचना का भावान-प्रदान

 संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिसमें बस्तावेज भी शामिल हैं) श्रादान-प्रवान करेंगे, जो इस भ्रभिसमय के उपबंधों के श्रथवा संविदा-कारी राज्यों के उन करों से सम्बन्धित भ्रान्तरिक कानुनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रावश्यक हैं, जो कर इस ग्रभिसमय के ग्रन्तर्गत ग्राते हैं, जहां तक कि उनके भ्रधीन कराधान-व्यवस्था, विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी ग्रथवा ग्रथवंचन को रोकने के लिए इस ग्रभिसमय के प्रतिकृत नहीं हो। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के ग्रान्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन यदि उक्त सूचना को, सूचना भेजने वाले राज्य में मृल रूप से गुप्त समझा जाता है, तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों ग्रथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और

प्रशासितक निकाय भी णामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण श्रथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन श्रथवा श्रभियोजन के संबंध में श्रथवा उनसे संबंधित श्रपीलों के निर्धारण में श्रन्तर्गस्त हों, जो इस श्रभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति श्रथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल उक्त प्रयोजनों के लिए ही करेंगे परन्तु वे उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाही श्रथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्ण के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शतौं, पद्धितयों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा श्रावान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर के परिहार के संबंध में सूचना का श्रादान-प्रदान भी शामिल है।

- 2 सूचना ग्रथवा दस्तावेजों का ग्रादान-प्रदान या तो नेमी तौर पर किया जाएगा भ्रथवा किसी मामले-विशेष के संदर्भ में ग्रनुरोध के ग्राधार पर ग्रथवा दोनों तरह से किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी नेमी ग्राधार पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना ग्रथवा दस्तावेजों की सूचना पर समय-समय पर ग्रपनी सहमति व्यक्त करेंगे।
- 3 किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का वह प्रथं नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदा-कारी राज्य पर निम्नलिखित उत्तरदायित्व डाला जाए:——
 - (क) एक प्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों ग्रथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
 - (ख) ऐसी सूचना प्रथवा दस्तावेज देना, जो एक प्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत प्रथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
 - (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्ताबेज देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकृत हो।

ग्रनुच्छेद--- 28

राजनयिक एजेंट तथा कांसुली ग्रधिकारी

इस प्रभिसमय की किसी भी बात से राजनियक एजेंटों प्रथवा कांसुली श्रिधिकारियों को ग्रन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत ग्रथवा विशेष करों के उपबंधों के अंतर्गत विये गये वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा।

अनुच्छेद---29 प्रवर्त्तन

दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस अभि-समय को लागू करने के जिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्य जिथियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा । यह अभिसमय इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा :

- (क) भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष मे उद्भृत होने वाली आय के सम्बन्ध में ;
- (ख) फिलीपीन में, उस केलेण्डर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भृत हुई आय के संबंध में।

अनुच्छेद--- ३०

समाप्ति

यह अभिसमय अतिश्चितकाल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कलेण्डर वर्ष के जून माह के तीसवें दिन को, अथवा उससे पहले, राजनियक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति में कि लिखत रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में कह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :-

- (क) भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें सूचना दी जाती है, अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भृत हुई आय के संबंध में ;
- (म्ब) फिलीपीन में, उस कैलेण्डर वर्ष के, जिसमें समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पण्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने, इस अभिसमय पर हस्ता-क्षर किए हैं।

सन् एक हजार नी सी नब्बे में फरवरी माह के बारहवें दिन को मनीला में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके दोनों पाठ समानतः प्रमाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी रहेगा ।

(सतीय चन्द्र) भारत का राजदूत भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(हेसुस प. एस्तानिस्लाओ) वित्त सचिव फिलीपीन गणराज्य की सरकार की ओर से

प्राताकोल

- 1. अनुच्छेद 1 के प्रयोजनार्थ इस अभिसमय की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे दोनों मंबिदाकारी राज्यों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य को अपने स्वदेशों कानूनों के अनुसार अपने नागरिकों, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में रह रहे हैं, पर कर लगाने से रोका जा सके । विकिन ऐसे स्वदेशी कानूनों के अनुसरण में अदा किए गए संदेय करों को इम अभिसमय के अध्यधीन जमा खाते की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी ।
- 2. अनुच्छैद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ किसी संविदा-कारी राज्य के बाहर किए गए खर्चों के संबंध में कटौती को उस सीमा तक प्रतिबन्धित किया जाएगा, जितनी सीमा की अनुमति संबंधित संविदाकारी राज्य के अपने कानून में ऐसे खर्चों के लिए दी गई हैं।
- 3. अनुच्छेव 8 और 9 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजनार्थ इनमें निर्धारित की गई कर की दर में, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा आयद किए जाने वाले "शाखा लाभ प्रेषण कर" को शामिल समझा जाएगा ।
- 4. अनुच्छेद 8 और 9 के प्रयोजनार्थ यदि इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पण्चात् फिलीपीन किसी भी समय किसी तीसरे देण के साथ कर की निम्न दरें अथवा णून्य दर रखने के लिए सहमत होता है तो उस स्थिति में फिलीपीन गणराज्य की सरकार राजनियक माध्यमों में भारत मरकार को अविलम्ब यह सूचना देगी तथा दोनों सरकारें, दोनों संविदाकारी राज्यों के उद्यभों द्वारा समान परिस्थितियों के अध्यधीन प्राप्त किए जा रहे समान किस्म के लाभों पर कर की ऐसी निम्न दर्गे अथवा णून्य दरों की व्यवस्था करने के लिए इन अनुच्छेदों की समीक्षा करेंगी।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधो-हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सन् एक हजार नौ सौ नठ्ये में फरवरी माह के बारहवें दिन को मनीला में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके दोनों पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी रहेगा।

(सतीण चन्द्र) भारत का राजदून भारत गणराज्य की सरकार की ओर से (हेसुसपः एस्तानिस्लाओ) वित्त सचिव फिलीपीन गणराज्य की सरकार की ओर से

[मं. 10041/96 फा. सं. 501/7/74 एफ.टी.डी.] एन.पी. साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1996 (Income-tax)

G.S.R. 173(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Philippines for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 21st March, 1994, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PRE-VENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Philippines,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

- 1. This Convention shall apply to taxes of income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.
- 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
 - 3. The taxes to which this Convention shall apply are:
 - (a) in India:
 - (i) the income tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);(herein referred to as "Indian tax").
 - (b) in the Philippines:—The income taxes imposed by the Government of the Republic of the Philippine;; (herein referred to as "Philippine tax").
- 4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws,

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

- 1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law/the U.N. Convention on the Law of the Sea;
 - (b) the term "Philippines" means the Republic of the Philippines and when used in a geographical sense means the national territory comprising the Republic of the Philippines;
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or the Philippines as the context requires;
 - (d) the term "tax" means Indian tax or Philippine tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
 - (c) the term "person" includes an individual, a company and any other taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
 - (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
 - (g) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of the Philippines, the Secretary of Finance or his authorized representative;
 - (i) the term "national" means any individual, possessing the citizenship of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
 - (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.
 - 2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

- 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
- 2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his tatus shall be determined as follows:

· . • · • · - - - - - - -

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individal is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

If the place of effective management cannot be determined, then the competent authorities shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on
 - 2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (g) a place of exploration of natural resources;
 - (h) a building site or construction project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activity continues for a period of more than six months;
 - (i) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for othres.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the entreprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for his enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
 - (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this

combination is of a preparatory or auxiliary character.

- 4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State (other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 articles) shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if:
 - (a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 3 of this Article; or
 - (b) he has no such authority, but habitually maintains in theh first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
 - (c) in so acting, he manufactures or processes in that State for the enterprise goods or merchandise belonging to the enterprise.
- 5.An insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other State if it collects premiums in the territory of that State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not agent of an independent status.
- 6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of the enterprise, he shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph if it is shown that the transactions between the agent and the enterprise were not made under arms-length conditions. In such a case, the provisions of paragraph 4 shall apply.
- 1. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1.Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derive from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on

business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the porposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
- 4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customery the method of appointment adopted shall however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of more purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of the Convention, then the two visions of those articles shall not be affected by the provisions of this article.

Article 8

AIR TRANSPORT

- 1. Profits der ved by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable in that State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits from sources within a Contracting State derived by an enterprise of the other Contracting State from the operation of aircraft in international traffic may be taxed in the first-mentioned State in accordance with its domestic law, but the tax so charged shall be reduced by forty per cent. In no case, however, shall the tax so charged exceed the lowest rate of Philinging tex that may be imposed in profits of the same kind derived under similar circumstances by a resident of a third State.
- The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

SHIPPING

- 1. I. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be exable in that State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits from sources within a Contracting State derived by an enterprise of the other Contracting State from the operation of this in international traffic may be taxed in the first-mentional State in accordance with its domestic law, but the tax of charced shall be reduced by forty per cent. In no case however, shall the tax so charged exceed the lowest rate of Philipping translating and profits of the same that derived under similar dircumstances by a resident of a third. State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

Article 11

DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed:
 - (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends;
 - (b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed:
 - (a) 10 per cent of the gross amount of interest if the interest is received by a financial institution (including insurance companies);
 - (b) the Philippine tax on interest paid by a company which is a resident of the Philippines to a resident of India in respect of public issues of bonds, debentures or similar obligations shall not exceed 10 per cent of the gross amount of interest; and
 - (c) 15 per cent of the gross amount of interest in all other cases.
 - Notwithstanding the provisions of paragraph 2—
 - (a) interest arising in a Contracting Steta shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owner by:
 - (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) the Central Bank of the other Contracting State:
 - (iii) other lending institutions as may be specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.
 - (b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person [other than a person referred to in sub-paragraph (a)] who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of evrey kind, including sales on credit of any industrial, commercial or scientific equipment, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of the Article.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local auhority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES

- 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties provided that such royalties are payable:
 - ii) in the case of Philippines, by an enterprise which is registered with the Board of Investment, and
 - (ii) in the case of India, by an enterprise in pursuance of any collaboration agreement approved by the Government of India.
- 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State Independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.
- 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 6. Where, by reason of special relationship between the paver and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of rovalties, having regard to the use right or information for which they are baid exceeds the amount which would have been agged upon by the paver and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the

payments shell remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the allenation or immovable property, referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains from the alternation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the appration of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State—of which the alienator is a resident.
- 4. Gains from the alienation of shares of a company, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State. Gains from the alienation of interest in a partnership or a trust, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State.
- 5. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
 - (b) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" in the case of Republic of India or "calendar year" in the case of Republic of the Philippines.
- 2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists, and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors' Fees), 18 (Entertainers and Athletes), 19 (Government Service), 20(Non-Government Pensions and Annuities), 21 (Students and Trainees) and 22 (Professors and Teachers), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" in the case of Republic of India or "calendar year" in the case of the Republic of the Philippines;
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State. and
 - (c) the remuncration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

Article 18

ENTERTAINERS AND ATHLETES

- 1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as theatre, motion picture, radio or television artist or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), be taxed in the

Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first mentioned Contracting State, if the activities in the other contracting State are exercised pursuant to a special programme between the Governments of the two Contracting States for cultural exchange and are supported substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State or a political subdivision, or a local authority thereof or from the funds of a statutory body, or a non-profic organisation which is certified as qualifying under this provision by the competent authority of that State.
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7 (Business Profits), 15 (Independent Personal Services), and 16 (Dependent Services), where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State if such activities exercised by an entertainer or athlete of that other Contracting State pursuant to a special programme between the Governments of the two Contracting States for cultural exchange and are supported substantially from the public funds of that other State, a political sub-division or a local authority thereof or from the funds of a statutory body, or a non-profit organisation which is certified as qualifying by the competent authority of that other State of which he is a resident.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

- 1. (a) Remuneration, other than a pension, paud by a Contracting S'ate or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:—
 - (i) is a national of that State : or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services
- 2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

- (b) However, sheh pension shall be texable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.
- 3 The Provisions of Articles 16 (Dependent Personal Services), 17 (Directors' Fees) and 20 (Non-Government Pensions and Annuities) shall apply to remunderation and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

- 1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the arstmentioned Contracting State.
- 2. The terms "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
- 3. The term "annulty" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and tull consideration in money or moneys worth.

Article 21

STUDENTS AND TRAINEES

- 1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on:—
 - (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
 - (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Rs. 15,000 or its equivalent in Philippine currency during any "previous year" in the case of Republic of India or "Calendar year" in the case of the Republic of the Philippines, provided that such employment it directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.
- 2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

3. The amounts referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be reviewed and agreed hpon by the competent authorities of both Contracting States from time to time.

- Article 22

PROFESSORS AND TEACHERS

- 1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved Institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.
- 2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" in the case of Republic of Ind a or "calendar year" in the case of the Republic of the Philippines, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".
- 4 For the purposes of paragraph 1, "appa wea institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, whetever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

- 1. The laws in tarce in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of moome in the respective Contracting States except where provision to the contrary are made in this Convention.
- 2. The amount Philippines tax payable, under the laws of the Philippines and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of pronts or income arising in the Philippines, which have been subjected to tax both in India and in the Philippines, shall be allowed as a credit against the India tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the India tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in the Philippines. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance

- against income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in Lndia
- 3. The term "Philippine tax payable" shall be deemedto include the amount of Philippine tax which would have been paid if the Philippine tax had not been exempted or reduced in accordance with this Corvention and the special incentive laws designed to promote economic development in the Philippines, effective on the date of signature of this Convention, or which may be introduced in the future in the Philippine taxaton laws in modification of, or in addition to, the existing laws.
- 4. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of the Philippines, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and the Philippines, shall be allowed as a credit against Philippine tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Philippine tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.
- 5. For the purposes of the credit referred to in paragraph 4, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any assessment year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof by the special incentive measures under the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

- 1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.
- 3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the

first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

- 5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, either Contracting State may, in the promotion of necessary industry or business, limit to its nationals the enjoyment of tax incentives granted by it.
- 6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

- 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the provisions of the Convention.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the climination of double taxation in cases not provided for in this Convention relating to the taxes which are the subject of this Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation

thereunder is not contrary to the Convention, particular for the prevntion of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

- 2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular eases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.
- 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the nomal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the precedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after

the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;

(b) in the Philippines, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in the Philippines, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Manila this twelfth day of February one thousand and nine hundred and ninety in Hindi and English languages, both the text being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(SATISH CHANDRA)

Ambassador of India

For the Government of the Republic of India.

(JESUS P. ESTANISLAO)

Secretary of Finance

For the Government of the Republic of the Philippines.

PROTOCOL

- 1. For purposes of Article 1, nothing in this Convention shall be construed as preventing either Contracting State from taxing its citizens, in accordance with its domestic legislation, who may be residing in the other Contracting State. However, no credit shall be given under this Convention for taxes paid payable in pursuance of such domestic legislation.
- 2. For purposes of paragraph 3 of Atticle 7, the deductions in respect of expenses incurred outside the Contracting State shall be restricted as per the limitation on allowance of such expenses provided in the domestic law of the concerned Contracting State.
- 3. For purposes of paragraph 2 of Articles 8 and 9, the rate of tax prescribed therein is understood to include the Branch Profit Remittance Tax as may be leviable by either Contracting State.
- 4. With reference to Articles 8 and 9 if at any time after the date of signature of the Convention the Philippines agrees to a lower or nil rate of tax with a third State the Government of the Republic of the Philippines shall without undue delay inform the Government of India through diplomatic channels and the two Governments will undertake to review these Articles with a view to providing such lower or nil rate to profits of the same kind derived under similar circumstances by enterprises of both Contracting States.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Manila this twelfth day of February one thousand nine hundred and ninety in Hindi and English languages, both the texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

(SATISH CHANDRA)

Ambassador of India For the Government of the Republic of India.

(JESUS P. ESTANISLAO)
Secretary of Finance

For the Government of the Republic of the Philippines (No. 10041|96-F. No. 501|7|74-FTD)

N.P. SAHNI, Jt. Secy.